



छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

KALYANPUR, KANPUR-208024
कल्याणपुर, कानपुर-208024

सन्दर्भ सं०: सी.एस.जे.एम.वि.वि./प0स्व0वि0पो0पा0/नियुक्ति(STE)/043/2021

दिनांक : 21/ 10 / 2021

नियुक्ति-पत्र

डॉ० श्रवण कुमार सिंह यादव आत्मज श्री मनिकराज सिंह यादव को, चयन समिति की अनुशंसा, एवं दिनांक 26.08.2021 को सम्पन्न कार्यपरिषद की बैठक में माननीय कुलपति महोदय को प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत, पर मा० कुलपति महोदय द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में, स्कूल ऑफ टीचर एजुकेशन के शारीरिक शिक्षा विभाग में संवालिit स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम(मो) हेतु, रू० 40,000/- (रू० चालीस हजार मात्र) प्रतिमाह के नियत वेतन पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक आचार्य (स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम) के पद पर संविदात्मक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति निम्नवत् शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी।

1. आपकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। नियुक्ति पत्र के निर्गमन से 15 दिवसों में पदभार ग्रहण करना अनिवार्य है अन्यथा की दशा में उक्त नियुक्ति प्रत्यहरित मानी जाएगी।
2. आपको विश्वविद्यालय के अधिनियम (Statutes) में प्राविधानित व्यवस्था तथा कार्यपरिषद के निर्देश के क्रम में, पदभार ग्रहण करते समय संलग्न प्रारूप (अनुलग्नक 'क') पर अनुबन्ध करना आवश्यक है। अनुबन्ध के आलेख में निहित सेवा शर्त एवं प्रतिबन्ध नियुक्ति पत्र का अहम हिस्सा है।
3. आपको योगदान के समय मुख्य चिकित्सा अधिकारी (कानपुर नगर या जिला मुख्यालय जहाँ आप सामान्यतः निवास करते हैं) से निर्गत, शारीरिक रूप से कार्य दायित्व ग्रहण करने हेतु सक्षमता का प्रमाण पत्र तथा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र भी जमा करना होगा।
4. आप द्वारा, यदि आवेदन पत्र में दी गयी सूचना गलत या किसी सूचना को आप द्वारा सउद्देश्य छिपाने का तथ्य संज्ञान में आता है तो आपकी सेवा बिना पूर्व सूचना, समाप्त की जा सकती है।
5. आप द्वारा नियोक्ता से इतर किसी अन्य को अपने सेवा योजन की शर्तों एवं प्रतिबन्धों को साझा करना, अमानत में खयानत माना जाएगा। इसके लिए आपके विरुद्ध प्रशासनिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
6. आप विश्वविद्यालय की सेवाओं के दौरान या बाद में भी किसी को, विश्वविद्यालय के किसी भी संस्थान/विभाग/विश्वविद्यालय के मामलों से संबंधित किसी भी गोपनीय जानकारी का खुलासा नहीं करेंगे।
7. आप वर्तमान सेवायोजन के दौरान कहीं और अंशकालिक/पूर्णकालिक सेवा करने के हकदार नहीं होंगे। आपको अपनी सेवाओं के कार्यकाल के दौरान निजी ट्यूशन/अन्य व्यावसायिक गतिविधि करने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी।
8. आकस्मिकता की स्थिति में आपको स्कूल ऑफ टीचर एजुकेशन, जहाँ आपको इस नियुक्ति पत्र के माध्यम से नियुक्ति प्रदान की जा रही है के इतर विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य स्कूल ऑफ स्टडीज/घटक महाविद्यालय में आपके निष्ठात विषय के अध्यापन हेतु तैनात किया जा सकता है और आपको उस शैक्षणिक दायित्व का निर्वहन अनिवार्य रूप से करना होगा।

संलग्न: अनुलग्नक 'क' मय संलग्नकों के (03 पृष्ठ)

डॉ० (अनिल कुमार यादव)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. डॉ० श्रवण कुमार सिंह यादव आत्मज श्री मनिकराज सिंह यादव निवासी-ग्राम त्रिलोकपुर पोस्ट उत्तरौली, थाना रेवतीपुर, गाजीपुर-232333 (ई-मेल sravanggu@gmail.com) को इस आशय से प्रेषित की पदभार ग्रहण करने हेतु इस पत्र में उल्लिखित अभिलेख, प्रमाण पत्र एवं अनुबन्ध पत्र सहित प्रशासनिक भवन स्थित कुलसचिव कार्यालय में सम्पर्क करें।
2. निदेशक, स्कूल ऑफ टीचर एजुकेशन, सी.एस.जे.एम.वि.वि. कानपुर।
3. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
4. वैयक्तिक सहायक, वित्तअधिकारी/कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक ।
5. सम्बन्धित पत्रावली।

4
कुलसचिव